

09 01  
24

वकील वादनी उपस्थित नहीं। वादनी  
स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी कठोरता  
बाबत कोई कारण भी प्रस्तुत नहीं हुआ।  
बार-बार आवाज लगावार्हे गये। कतः  
यह वादपत्र कदम परवी कदम हाजरी में  
वारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर  
नम्बर से काग हो तथा तारीख तकीमल होकर  
दाखिल देकर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तारागढ़ (बुल)